मेरठ में दंगा पीड़ित व्यक्तियों के लिए बैंक ऋण

2118. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेरठ (उत्तर प्रदेश) में हाल के दंगों में पीड़ित ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्हें बैंकों ने अपने पुनर्वास हेतु ऋण मंजूर किए हैं तथा मंजूर की गई धनराशि कितनी है ; और

(ख) क्या ऋण प्राप्तकर्ताओं को कुछ विशेष रियायतें दी गई थीं, यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुवर्डो फैलेरियो) : (क) मेरठ (उत्तर प्रदेश) में दंगों से पीड़ित व्यक्तियों को बैंकों से सहायता उपलब्ध कराने के लिए समन्वयकर्ता बैंक के रूप में, पंजाब नेशनल बैंक ने बताया है कि बैंकों ने मेरठ में 769 दंगापीड़ित व्यक्तियों को 70.81 लाख रुपए की ऋण सहायता प्रदान की है।

(ख) मेरठ के दंगापीड़ितों को बैंक सहायता उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों के नाम 1987 में विस्तृत मार्गनिर्देश जारी किए थे जिनमें उनसे दंगों से प्रभावित व्यक्तियों के लिए उत्पादक धंधे अथवा व्यापार अथवा कारबार अथवा व्यवसाय के लिए सहायता उपलब्ध कराने की सिफारिश की गई है। इन मार्गनिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित की भी परिकल्पना की गई है :—

(1) वर्तमान अल्पावधिक ऋणों/नकद ऋण सीमाओं को दीर्घावधिक ऋणों में बदलना। लेकिन इनकी अवधि अधिक से अधिक 5 वर्ष होगी।

(2) वर्तमान सावधि ऋणों का पुनः निर्धारण करना।

(3) उत्पादन, व्यापार आदि जारी रखने/उत्पादन को फिर से शुरू करने के लिए नए ऋण/ऋण सीमाएं मंजूर करना। ये ऋण ऋणकर्ता को ऋण चुकाने की क्षमता और आवश्यकताओं के आधार पर 3 से 5 वर्ष की अवधि में चुकाए जाएंगे।

(4) 25,000 रुपये के ऋणों/नकद ऋण सीमाओं (जिनमें यह रकम भी शामिल है) के मामले में मार्जिन राशि की शर्त नहीं रखी जाएगी। अन्य मामलों में मार्जिन राशि की व्यवस्था ऋणकर्ता द्वारा नियमित आधार पर आमदनी होने के बाद धीरे-धीरे कर दी जाएगी।

(5) 25,000 रुपए तक के नए ऋण/ऋण सीमाओं के लिए कोई संपार्श्विक प्रतिभूति/अन्य पार्टी की गारन्टी नहीं ली जाएगी।

(6) लघु उद्योग एककों, छोटे धंधे करने वाले व्यक्तियों, अपना धंधा खुद करने जैसे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के छोटे ऋणकर्ताओं से रियायती दर पर ब्याज लिया जाएगा।

(7) दंगापीड़ितों के क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत/निर्माण के लिए आवास वित्त की व्यवस्था की जाएगी। यह व्यवस्था आवास वित्त के वर्तमान मार्गनिर्देशों के अनुसार होगी।

Opening of Spinning Mills in Maharashtra

2119. SHRI PRAMOD MAHAJAN: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) which are the Spinning Mills in Maharashtra awaiting clearance from the Central Government in spite of being re-commended by Maharashtra Government